GST For Jewellers

Frequently Asked Questions

INDIA BULLION AND JEWELLERS
ASSOCIATION LTD.
Since 1919

GST ON JEWELLERY
Frequently Asked Question

१) GST (गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स) का क्या अर्थ है ?

- GST एक अप्रत्यक्ष कर है। यह टैक्स अन्य कई टैक्स जैसे, VAT, Excise, Service Tax, Octroi इत्यादि को हटा देगा।

२) GST कब से लागू होगा ?

- सरकार १ जुलाई २०१६ से GST को लागू करना चाहती है।

३) GST के बाद क्या Income Tax देना होगा।

- हाँ, Income Tax एक प्रत्यक्ष कर है जब कि GST अप्रत्यक्ष कर है। अतः GST के बाद भी Income Tax देना होगा।

४) स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण पर GST Rate कितना होगा ?

स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण पर 3% GST लगेगा। आभूषण की Making charge पर 5% GST लगेगा।

५) GST एवं VAT में फर्क क्या है ?

आज आपने जितना VAT आपने ग्राहक से वसूल किया है, उसमे से जतना माल की खरीदी पर VAT दिया है, वह घटा कर बाकी का बचा हुआ VAT सरकार को देते है। परंतु इस प्रक्रिया में आप Octroi, Service Tax एवं Excise नहीं घटा पाते है। परंतु GST में Octroi, Service Tax एवं Excise सब GST में मिल जायेंगे। अतः अपने ग्राहक से वसूल किये GST में से आपने जिस कीसी को भी GST अदा किया है, वह घटाकर बाकी का GST सिर्फ सरकार को देना होगा।

६) क्या GST का enrollment अभी कराना अनिवार्य है ?

- हाँ, सरकार इसके लिये कई camp लगा रही है। आप अपने C.A. द्वारा GST का enrollment तुरंत कराये।

७) GST का मापदण्ड क्या है ?

जिस व्यापारी का सालाना टर्नओवर २० (Twenty) लाख से ज्यादा है, वह GST के दायरे में रहेगा। North East राज्यों के लिये यह सीमा १०लाख है।

८) क्या कारीगर को भी GST का नम्बर लेना होगा?

यदि कारीगर की सालाना आभूषण बनाने से आमदानी २० लाख से ज्यादा होगी तो कारीगर को भी GST का नम्बर लेना होगा।

९) यदि GST Registered ज्वैलर्स, बाहरी कारीगर से आभूषण बनवाता है, तो GST कैसे लगेगा?

यदि कारीगर भी GST में Registered है तो कारीगर अपनी मजूरी पर ज्वैलर्स से GST वसूल करेगा तथा सरकार को भरेगा।

परंतु यदि कारीगर GST में Registered नहीं है तो ज्वैलर्स को स्वयं उस मजूरी पर सरकार को GST देना होगा।

१०) यदि ज्वैलर्स खुद की आभूषण की Manufacturing Unit है, तो GST कैसे लगेगा ?

- यदि ज्वैलर्स की खुद की Manufacturing Unit है, तो वह समय समय पर GST दे रहा है, जैसे कि लाईट बिल पर फोन बिल पर, माल खरीदी पर इत्यादि-इत्यादि।

११) एक ग्राहक अपनी सोने की चैन Repair कराने आया तो GST कैसे लगेगा ?

GST सिर्फ Repairing charge पर लगेगा। यदि Repairing के समय कुछ सोना भी लगा तो उस पर भी GST देना होगा।

१२) एक ग्राहक सोने की चैन को मंगलसूत्र बनाना चाहता है तो GST कैसे लगेगा ?

संपूर्ण मंगलसूत्र के बिक्री मूल्य पर GST लगेगा। क्योंकि यहां पर चैन का स्वरुप बदल कर मंगलसूत्र में परिवर्तित हो रहा है। इसे Repairing की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा।

परंतु यदि ज्वैलर्स इसे Repairing बता सकता है, तो सिर्फ Repairing एवं अतिरिक्त सोने पर GST लगेगा।

१३) एक ग्राहक Bullion या सोने के सिक्के के बदले में आभूषण खरीदना चाहता है तो GST कैसे लगेगा?

क्योंकि यहाँ पर Bullion या सिक्को का स्वरुप बदल कर आभूषण में परिवर्तित हो रहा है, इसलिये GST संपूर्ण आभूषणो की बिक्री मूल्य का लगेगा। यदि Bullian unregistered dealer से खरीदा जाता है तो Jewellers को उस पर भी GST देना होगा।

१४) क्या ग्राहको की Bill/ Invoice देते समय सोने की Quantity और लेबर चार्ज अलग लिखना होगा?

यदि अंतराष्ट्रीय मापदंड को माने तो, सोने की Quantity परंतु लेबर चार्ज अलग लिखना आवश्यक है। परंतु सरकार ने स्वर्ण आभूषण पर 3% GST रखा है। मतलब की सोने और Making charge को अलग दिखाना नही होगा।हम सरकार से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले रहे है।

१५) क्या कारीगर को माल देते समय कोई Voucher इत्यादी बनाना होगा।

यह अनिवार्य है, अन्यथा माल जप्त हो सकता है।

१६) कभी कभी एक कारीगर दूसरे कारीगर को माल direct भेजते है, तब भी क्या कारीगर को voucher बनाना आवश्यक है।

यह अनिवार्य है, वरना माल जप्त हो सकता है।

१७) मेरी एक office/shop Mumbai में है, एवं दूसरी Branch Surat में है, तो GST कैसे एवं कब लगेगा।

जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जायेगा तब GST लगेगा। फिर चाहे वह माल खुद की ही Branch को क्यो ना जाये। हालाकि इसमें घबराने की जरुरत नही है क्योंकि Branch Transfer यदि दूसरे राज्य में होगा तो भी GST Payment करते समय उसको घटाकर देना होगा।

१८) मेरा आदमी २० किलो माल लेकर दूसरे राज्य में जाता है, वहा पर कुछ माल बिक जाता है, कुछ वह वापस लेकर आता है। तब GST कैसे लगेगा ?

जो माल बिक गया उस पर GST लगेगा। जो माल वापस आ जाये तो GST नहीं लगेगा। परंतु सभी माल का voucher इत्यादि आवश्यक होगा। परंतु आदमी उस राज्य में जाता है, जहां आपका office नहीं है, तब अन्य प्रावधान लागू होंग। इसे causal taxable supply की श्रेणी में रखा जायेगा।

१९) यदि माल दूसरे राज्य में Exhibition इत्यादि के लिये ले जाये तो GST कैसे लगेगा ?

क्योंकि GST हमेशा माल की सप्लाई पर लगता है, एवं exhibition में कोई भी माल सप्लाई नही होता है, अतः GST नही लगेगा। परंतु सभी माल की मूवमेन्ट पर voucher अनिवार्य होगा। इस विषय में सरकार से कुछ और clarification बाकी है। वर्तमान कानून के तहत यदि Exhibition या प्रदर्शनी के लिये दूसरे राज्य में माल जायेगा तो उस पर GST लगेगा।

२०) GST में विशेष किस बात का ध्यान रखना होगा।

सरकार धीरे धीरे सभी कानून को सख्त बना रहीं है। GST के उल्लंघन पर पैनाल्टी के साथ जैल इत्यादी के प्रावधान है। अत: GST का कानूनी पालन अति आवश्यक है।

२१) GST का एक उदाहरण दिजीये।

खरीदी

	Price	GST Rate	GST
Bullion	**300000**	**3%**	**9000**
Labour	**10000**	**5%**	**500**
Telephone Bill	**1000**	**18%**	**180**
Total Rs.	**311000**		**9680**

बिक्री

	Price	GST Rate	GST
Jewellery	**450000**	**3%**	**13500**
Total Rs.	**450000**		**13500**

GST सरकार को देना :

बिक्री	–	13500
(-) खरीदी	–	9680
सरकारी देय	–	3820

२२) क्या माल को Approval पर भेजा जा सकता है ?

हाँ, माल को ६ माह के लिये approval पर भेजा जा सकता है।

२३) क्या 30.6.2017 का Stock declare करना होगा ?

हाँ, GST लागू होने पर 90 days में old stock declare करना होगा।

२४) क्या Job Worker को Register होना चाहिये ?

हाँ, अन्यथा उस कारीगर से कोई Jeweller काम नही करायेगा। क्योंकि यदि Job Worker Register नही है, तो Making Charge पर Jeweller को GST भरना पडेगा।

२५. क्या पुराने Stock का VAT Credit मिलेगा ?

हाँ, परंतु पुराना Stock 1 साल से पुराना नही होना चाहिये एवं पुराने Stock को GST लगने के बाद 6 महिने में बेचना होगा।

२६) क्या पुराने Stock पर Excise Credit मिलेगी ?

हमारे Opinion के मुताबिक old stock पर excise credit नही मिलेगी।

२७) Reverse टैक्स क्या है ?

यदि Registered dealer कोई भी Purchase, making charges, expenses unregistered dealer द्वारा प्राप्त करता है तो Jeweller को उस पर Reverse Tax देना होगा।

हमारी आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने टैक्स सलाहकार की राय उपरोक्त विषय में अवश्य लें।

और किसी भी clarification या प्रश्न के लिये आप हमारे National Secretary, CAसुरेंद्र महेता से संपर्क करें।

उनका email-id surendramehta@ibja.in